

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266938
SG-DL-E-15102025-266938

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280

No. 6]

DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

[N. C. T. D. No. 280]

भाग III

PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2025

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना कार्यान्वयन) विनियम, 2025

फ. 17(332)/डीईआरसी/ ईज़ी/2024-25/8107/992.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(एच), 66 और 86(1)(ई) के साथ पठित धारा 181 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग पूर्व प्रकाशन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित विनियम अर्थात् दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना कार्यान्वयन) विनियम, 2025 बनाता है।

भाग 1प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

- (क) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना कार्यान्वयन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (ख) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (ग) ये विनियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।
- (घ) ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे:
- (1) वितरण लाइसेंसधारी;
 - (2) कोई भी कैप्टिव उपयोगकर्ता, विनियमन 4 की शर्तों के अधीन;
 - (3) कोई भी ओपन एक्सेस उपभोक्ता, विनियमन 4 की शर्तों के अधीन;
 - (4) समय-समय पर संशोधित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तों) विनियम, 2024 के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ता।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो,

- (a) "मान्यता प्राप्त संस्थाएं" से तात्पर्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम और शर्तों) विनियम, 2022 के अंतर्गत पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में लगी संस्थाओं से है;
- (b) "अधिनियम" से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, 2003) और उसके उत्तरवर्ती संशोधन हैं;
- (c) "आपूर्ति क्षेत्र" से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है;
- (d) "कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट" का अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित विद्युत नियम 2005 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(8) के अंतर्गत परिभाषित है;
- (e) "कैप्टिव उपयोगकर्ता" से तात्पर्य अपने स्वयं के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत के अंतिम उपयोगकर्ता से होगा और "कैप्टिव उपयोग" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (f) "केन्द्रीय एजेंसी" से वह एजेंसी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय आयोग समय-समय पर, समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2022 के अधीन नामित कर सकता है;
- (g) "केन्द्रीय आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) अभिप्रेत है;
- (h) "प्रमाणपत्र" से तात्पर्य समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) से है;
- (i) "प्रमाणपत्र गुणक" का अर्थ समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित गुणक है;
- (j) "आयोग" से तात्पर्य दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) है;
- (k) "उपभोग" का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बाध्य इकाई द्वारा उपभोग की गई विजली की कुल मात्रा, जो वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस और कैप्टिव उत्पादन के माध्यम से खरीद सहित सभी स्रोतों से निकासी के मीटिंग बिंदु (बिंदुओं) पर मापी जाती है।

प्रावधान है कि, वितरण लाइसेंसधारी के मामले में, इसका अर्थ वर्ष के दौरान आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर अपने खुदरा उपभोक्ताओं को की गई बिजली की कुल बिक्री होगी।

आगे प्रावधान है कि ओपन एक्सेस या कैप्टिव उपभोक्ता के मामले में, यह वर्ष के दौरान ओपन एक्सेस या कैप्टिव स्रोतों के माध्यम से ली गई बिजली की मात्रा तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण: वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ओपन एक्सेस या कैप्टिव उपभोक्ता को आपूर्ति की गई बिजली को ऐसे उपभोक्ता द्वारा आरपीओ अनुपालन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी मात्रा पर आरपीओ, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा त्रुकाया जाएगा।

- (l) "वितरित आरपीओ" का अर्थ है नवीकरणीय क्रय दायित्व जो 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा से पूरा किया जाएगा और इसमें सभी विन्यासों (नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की स्थापनाएं और जैसाकि आयोग द्वारा परिभाषित किया जा सकता है) के अंतर्गत स्थापनाएं शामिल होंगी;
- (m) "वितरण लाइसेंसधारी" से तात्पर्य ऐसे लाइसेंसधारी से है जो अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली का संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत है;
- (n) "जीईओए उपभोक्ता" का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 में परिभाषित किया गया है।
- (o) "एचपीओ" का अर्थ इन विनियमों के विनियम 5 और 6 में संबंधित समयावधि के लिए निर्दिष्ट हाइड्रो क्रय दायित्व है;
- (p) "अंतर-संयोजन बिंदु" से तात्पर्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के साथ इंटरफेस बिंदु होगा, जैसा भी मामला हो;
- (q) "एमएनआरई" का तात्पर्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से है;
- (r) "बाध्य इकाई" से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता, ओपन एक्सेस उपभोक्ता या किसी अन्य इकाई से है, जिसे इन विनियमों के विनियम 4 में शर्तों की पूर्ति के अधीन समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिए अधिदेशित किया गया है;
- (s) "ओपन एक्सेस उपभोक्ता" से तात्पर्य ऐसे उपभोक्ता से है जिसे आयोग द्वारा उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, और इस अभिव्यक्ति में उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी शामिल हैं, जिन्होंने ओपन एक्सेस का लाभ उठाया है या लेने का इरादा रखते हैं;
- (t) "अन्य आरपीओ" का तात्पर्य नवीकरणीय क्रय दायित्व से है, जो विनियमन 2(एल), 2(ओ) और 2(बीबी) के अंतर्गत शामिल न होने वाली किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है;
- (u) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (49) के तहत परिभाषित है;
- (v) "पावर एक्सचेंज" से तात्पर्य केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2021 या समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत पंजीकृत एक्सचेंज से है;
- (w) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" का अर्थ है नवीकरणीय स्रोत/हरित ऊर्जा जैसाकि विनियमन 5(ङ) और 6(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट बड़े हाइड्रो, छोटे हाइड्रो, पवन, सौर जिसमें संयुक्त चक्र, बायोमास, जैव ईंधन सह-उत्पादन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट तथा/अथवा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) या भारत सरकार या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्रोत शामिल हैं;
- (x) "नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)" का अर्थ है अधिनियम की धारा 86(1)(ई) के अनुसार इन विनियमों के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्य इकाई के लिए निर्दिष्ट आवश्यकता;

- (y) "राज्य नोडल एजेंसी" से तात्पर्य ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र या इन विनियमों के विनियम 6 के अंतर्गत आयोग द्वारा नामित एजेंसी से है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन विनियमों में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करेगी;
- (z) "राज्य" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है;
- (aa) "टैरिफ" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के लिए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित या धारा 63 के अंतर्गत अपनाए गए टैरिफ से है;
- (bb) "पवन आरपीओ" का तात्पर्य नवीकरणीय क्रय दायित्व से है, जो इन विनियमों के विनियम 5 और 6 में निर्दिष्ट अनुसार पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाएगा;
- (l) "वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक;

3. व्याख्या

- (अ) इन विनियमों की व्याख्या और कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि वे अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न हों।
- (आ) जब तक कि संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम या आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में दिया गया है।

4. बाध्य इकाई

विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रतिशत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं एवं कैप्टिव उपयोगकर्ताओं सहित सभी बाध्य संस्थाओं पर लागू होगा, लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- (i) कोई भी व्यक्ति जो 1 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता, या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अन्य क्षमता के साथ पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर आधारित ग्रिड से जुड़े कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का मालिक है और स्वयं के उपयोग के लिए बिजली का उपभोग करता है, ऐसा संयंत्र निकासी के मीटरिंग बिंदु (बिंदुओं) पर मापी गई कुल बिजली खपत के आधार पर आरपीओ के अधीन होगा।
- (ii) कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुबंध मांग 1 मेगावाट से कम नहीं है और जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से प्राप्त बिजली का उपभोग करता है, वह निकासी के मीटरिंग बिंदु (बिंदुओं) पर मापी गई कुल बिजली खपत के आधार पर आरपीओ के अधीन होगा।

प्रावधान है कि आयोग समय-समय पर आदेश द्वारा उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षमता को सुधार/संशोधित कर सकता है।

5. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)

(क) इन विनियमों के लागू होने की तिथि को और से, वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय क्रय दायित्व होगा।

(ख) कोई भी संस्था अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से नवीकरणीय ऊर्जा/हरित ऊर्जा का उत्पादन, खरीद और उपभोग करना चुन सकती है: -

1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्वयं का उत्पादन - संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई क्षमता सीमा नहीं होगी और ऐसे संयंत्र भारत में किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और ओपन एक्सेस का उपयोग करके विद्युत का संचरण किया जाएगा: प्रावधान है कि उत्पादन संयंत्र संस्था द्वारा स्वयं या किसी डेवलपर द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसके साथ संस्था विद्युत क्रय समझौता करती है।
2. किसी भी डेवलपर से सीधे या ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के माध्यम से या बिजली बाजारों के माध्यम से ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करके।

स्पष्टीकरण:

- (i) डेवलपर से तात्पर्य उस उत्पादन कंपनी से है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
- (ii) व्यापार लाइसेंसधारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पुनर्विक्रय के लिए बिजली खरीदने हेतु उपयुक्त आयोग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है।

3. वितरण लाइसेंसधारी से अनुरोध द्वारा –

- (i) कोई भी उपभोक्ता उपभोग के एक निश्चित प्रतिशत या अपनी संपूर्ण खपत तक हरित ऊर्जा खरीदने का विकल्प चुन सकता है और इसके लिए वितरण लाइसेंसधारी के पास मांग पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो हरित ऊर्जा की ऐसी मात्रा की खरीद और आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता को सौर और गैर-सौर के लिए अलग-अलग मांग पत्र देने की छूट होगी;
- (ii) उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर, अपनी बाध्यता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकता है और कार्यान्वयन में आसानी के लिए, यह पञ्चीस प्रतिशत से लेकर सौ प्रतिशत तक के चरणों में हो सकता है;
- (iii) हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा एक अलग आदेश के माध्यम से किया जाएगा;
- (iv) वितरण लाइसेंसधारी से हरित ऊर्जा के लिए कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी;
- (v) हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व-निर्दिष्ट की जाएगी;
- (vi) वितरण लाइसेंसधारी से या वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदी गई हरित ऊर्जा, जोकि बाध्य इकाई के नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) से अधिक है, वितरण लाइसेंसधारी के आरपीओ अनुपालन में तब तक नहीं गिनी जाएगी, जब तक कि वितरण लाइसेंसधारी अतिरिक्त ऊर्जा को सीधे नहीं खरीदता है;
- (vii) वितरण लाइसेंसधारी स्तर पर आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का लेखा-जोखा मासिक आधार पर होगा;

4. कैप्टिव पावर प्लांट से हरित ऊर्जा का उपभोग करके।

5. लागू विनियमों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदकर।

6. हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की खरीद; - बाध्य इकाई हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की खरीद करके भी अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा कर सकती है और ऐसे हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों से एक मेगावाट बिजली से उत्पादित हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया या इसके गुणकों की समतुल्यता पर विचार करके की जाएगी और इस संबंध में मानदंड वे होंगे जो केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

7. कोई अन्य स्रोत, जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

(ग) प्रत्येक बाध्य इकाई, नवीकरणीय क्रय दायित्व के अंतर्गत, वर्ष के दौरान कुल खपत के एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदेगी, जैसाकि नीचे निर्दिष्ट है –

तालिका 1: बाध्य संस्थाओं के लिए आरपीओ लक्ष्य

क्र. सं.	आरपीओ लक्ष्य				कुल आरपीओ लक्ष्य
	वर्ष	पवन आरपीओ	अन्य आरपीओ	एचपीओ लक्ष्य (केवल वितरण लाइसेंसधारी के लिए)	
1	2025-26	3.36%	28.17%	1.48%	33.01%

- (घ) पवन ऊर्जा आरपीओ की पूर्ति 31 मार्च 2022 के बाद चालू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊर्जा तथा 31 मार्च 2022 तक चालू की गई डब्ल्यूपीपी से 7% से अधिक खपत की गई पवन ऊर्जा से की जाएगी।
- (इ) एचपीओ की पूर्ति 8 मार्च 2019 के बाद चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं [जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एलएचपी), पंप स्टोरेज परियोजनाएं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी), मिनी हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो पावर शामिल हैं] से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी।
- (च) अन्य आरपीओ को उपरोक्त 5(घ) और 5(इ) में उल्लिखित नहीं की गई किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाएगा और इसमें 8 मार्च 2019 से पहले चालू की गई जल विद्युत परियोजनाएं [बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एलएचपी), पंप स्टोरेज परियोजनाएं और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) सहित] शामिल होंगी।
- (छ) किसी विशेष वर्ष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी की उपलब्धि में शेष किसी भी कमी को या तो उस वर्ष के लिए 'पवन आरपीओ' के बाद 31 मार्च 2022 के बाद चालू किए गए डब्ल्यूपीपी से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरा किया जाएगा या उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' के बाद 8 मार्च 2019 के बाद चालू की गई पात्र जल विद्युत परियोजनाओं [बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी), पंप स्टोरेज परियोजनाओं और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरा किया जाएगा या दोनों से आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ' की उपलब्धि में किसी भी कमी को जल विद्युत संयंत्रों से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरा किया जाएगा, जो उस वर्ष के 'एचपीओ' से अधिक है।
- (ज) आरपीओ में आगे की कमी, यदि कोई हो, की गणना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों को समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार विचार किया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि बाध्य संस्थाएं किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने में किसी भी कमी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर आरेहसी खरीद सकती हैं।
- (झ) भारत के बाहर से आयातित जलविद्युत को एचपीओ की पूर्ति हेतु नहीं माना जाएगा और जलविद्युत परियोजनाओं के संशोधित कमीशनिंग कार्यक्रम के आधार पर एचपीओ प्रक्षेप पथ का वार्षिक आधार पर सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एचपीओ के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए, बाध्य संस्था द्वारा उपलब्ध जल ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।

6. बाध्य संस्थाओं के लिए आरपीओ लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27 से आगे)

वित्त वर्ष 2026-27 से आगे के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए आरपीओ लक्ष्य निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होंगे:

तालिका 2: बाध्य संस्थाओं के लिए आरपीओ लक्ष्य (केवल वितरण लाइसेंसधारी)

क्र. सं.	वर्ष	पवन आरपीओ (क)	एचपीओ (ख)	वितरित आरपीओ (ग)	अन्य आरपीओ (घ)	कुल आरपीओ (इ)
1	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
2	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
3	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
4	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

तालिका 3: बाध्य संस्थाओं के लिए आरपीओ लक्ष्य (वितरण लाइसेंसधारी के अलावा)

2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
35.95%	38.81%	41.36%	43.33%

प्रावधान है कि उपरोक्त तालिका 3 नवीकरणीय स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या जीईओए उपभोक्ताओं पर केवल इन विनियमों के विनियमन 9(ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू होगी।

आगे प्रावधान है कि वित्त वर्ष 2029-30 के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 से आगे भी जारी रहेंगे, जब तक कि आयोग द्वारा अलग से निर्दिष्ट न किया जाए।

नोट:

क) पवन नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के बाद चालू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी।

ख) जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल 31 मार्च, 2024 के बाद चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं [पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी:

प्रावधान है कि जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के बाद चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य/डिस्कॉम को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विजली से भी की जा सकेगी:

आगे प्रावधान है कि जल-नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति भारत के बाहर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से भी की जा सकेगी, जैसाकि मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ग) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी और इसमें भारत सरकार अथवा आयोग की किसी अन्य एजेंसी द्वारा अधिसूचित सभी विन्यासों (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की स्थापनाएं और कोई अन्य विन्यास) के अंतर्गत सौर प्रतिष्ठान शामिल होंगे:

प्रावधान है कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अनुपालन को सामान्यतः ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाइयों) के संदर्भ में माना जाएगा:

आगे प्रावधान है कि यदि नामित उपभोक्ता वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उत्पादन डेटा प्रदान करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति दिन (कि.वा.घ./कि.वा./दिन) के गुणक द्वारा ऊर्जा के संदर्भ में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

घ) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति उपरोक्त नोट क, ख और ग में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी और इसमें 1 अप्रैल, 2024 से पहले चालू की गई सभी डब्ल्यूपीपी और जल विद्युत परियोजनाओं [पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से प्राप्त ऊर्जा शामिल होगी, जिसमें निःशुल्क विद्युत भी शामिल है।

इ) किसी विशेष वर्ष में निर्धारित पवन नवीकरणीय ऊर्जा खपत की उपलब्धि में किसी भी कमी को जल नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है जो उस वर्ष के ऊर्जा घटक से अधिक है और इसके विपरीत भी।

च) किसी विशेष वर्ष में पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अंतर्गत शेष अतिरिक्त ऊर्जा खपत को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के भाग के रूप में माना जा सकता है।

छ) किसी विशेष वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अंतर्गत किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा खपत का उपयोग निर्धारित पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा खपत की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

- ज) नामित उपभोक्ता जो ओपन एक्सेस उपभोक्ता हैं या कैप्टिव पावर प्लांट वाले उपभोक्ता हैं, उन्हें गैर-नवीकरण ईंधन स्रोत पर ध्यान दिए बिना निर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करना होगा।
- झ) निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्यों को या तो सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 24 मई, 2022 में प्रकाशित के अनुसार पूरा किया जाएगा।

यह प्रावधान भी है कि बाध्य संस्थाएं किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने में किसी भी कमी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर आरईसी खरीद सकती हैं।

तालिका 4: ऊर्जा भंडारण दायित्व (वित्त वर्ष 2026-27 से आगे)

- (a) ऊर्जा भंडारण दायित्व की गणना, ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी और इसे तभी पूरा माना जाएगा जब ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) में वार्षिक आधार पर संग्रहीत कुल ऊर्जा का कम से कम 85% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।
- (b) कुल खपत की गई ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत भंडारण के साथ/के माध्यम से सौर/पवन ऊर्जा होगा:

क्र. सं.	वर्ष	भंडारण (ऊर्जा के आधार पर)
1	2026-27	2.5%
2	2027-28	3.0%
3	2028-29	3.5%
4	2029-30	4.0%

- (c) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संग्रहीत ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा भंडारण दायित्व को कुल आरपीओ की पूर्ति के एक भाग के रूप में माना जाएगा, जैसाकि तालिका 2 और तालिका 3 में निर्दिष्ट है, जैसा भी लागू हो।
- (d) ऊर्जा भंडारण दायित्व की समीक्षा समय-समय पर पीएसपी क्षमता के चालू होने/प्रचालन पर विचार करते हुए की जाएगी, ताकि किसी भी नई आशाजनक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को समायोजित किया जा सके और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की लागत में भी कमी लाई जा सके।

7. अनुपालन के लिए अन्य शर्तें

- (क) समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2022 के अंतर्गत आरईसी जारी करने के लिए पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) से खरीदी गई बिजली, बाध्य संस्थाओं के आरपीओ के लिए योग्य नहीं होगी:

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक से बिजली खरीद के लिए, बाध्य संस्थाएं राज्य नोडल एजेंसी को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगी कि उक्त बिजली के नवीकरणीय घटक का दावा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022, जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत आरईसी जारी करने के लिए नहीं किया गया है।

- (ख) समय-समय पर संशोधित डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग) विनियम, 2014 या समय-समय पर संशोधित दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 के अंतर्गत पात्र नेट मीटरिंग उपभोक्ताओं, बाध्य इकाई (वितरण लाइसेंसधारी के अलावा) द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन के लिए योग्य होगी।

- (ग) वितरण लाइसेंसधारी राज्य में सभी अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित 100% बिजली की खरीद करेंगे, जो सभी स्रोतों से उनकी बिजली की खरीद के अनुपात में होगी, या जैसाकि समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (घ) कोयला/लिग्नाइट उत्पादन स्टेशनों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों से बाध्य इकाई द्वारा प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा को ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से प्राप्त बिजली की सीमा तक आरपीओ के अनुपालन के लिए माना जाएगा।
- (ङ) वितरण लाइसेंसधारी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की क्षमता वृद्धि, उत्पादन और खरीद तथा आरईसी की खरीद पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की आरपीओ अनुपालन स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक तिमाही के अंत से बीस (20) दिनों के भीतर आयोग को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट भी अपलोड करेगा।
- (च) हरित प्रमाणपत्र-वितरण लाइसेंसधारी, लिखित अनुरोध पर, वार्षिक आधार पर हरित प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता को आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा को प्रमाणित करेगा, जो इन विनियमों के अंतर्गत उपभोक्ता पर लागू नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ), यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।
- (छ) वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई हरित ऊर्जा के प्रतिशत के आधार पर उन्हें विभिन्न रेटिंग पर वर्गीकृत करेगा।

यह प्रणाली एक ग्रीन फाइव स्टार रेटिंग पैमाने का उपयोग करती है, जो उपभोक्ता के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात के साथ सहसंबंधित है।

- 1 ग्रीन स्टार: 25% तक नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत को दर्शाता है।
- 2 ग्रीन स्टार: 26% से 50% नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत को दर्शाता है।
- 3 ग्रीन स्टार: 51% से 75% नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत को दर्शाता है।
- 4 ग्रीन स्टार: 76% से 95% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा खपत को दर्शाता है।
- 5 ग्रीन स्टार: 96% से 100% नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत को दर्शाते हैं।

नोट: ऊर्जा खपत को निम्न पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता बिलों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऊर्जा निगरानी इंटरफेस पर ग्रीन एनर्जी स्टार रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी द्वारा इस रेटिंग को हर साल संशोधित किया जाएगा।

8. राज्य नोडल एजेंसी

(क) राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:

- (i) आरईसी तंत्र के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का प्रमाणन और सिफारिश करना तथा समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों के अनुसार कार्य करना;
- (ii) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियमित आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों, दायित्वपूर्ण संस्थाओं, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) या किसी अन्य एजेंसी जैसे विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल विकसित करना:

 - (a) बाध्य संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों के अनुपालन का आकलन करना; और
 - (b) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ताओं के संबंध में आरपीओ से छूट के लिए पात्र बिजली की मात्रा का निर्धारण करना।

(iii) राज्य नोडल एजेंसी, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ताओं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं सहित, बाध्य संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के अनुपालन पर संचयी आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पञ्चीस (25) दिनों के भीतर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और आयोग को प्रस्तुत करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

(iv) राज्य नोडल एजेंसी, आयोग को वार्षिक समेकित आरपीओ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें सभी बाध्य संस्थाओं द्वारा अनुपालन और अतिरिक्त नवीकरणीय क्रय का विवरण शामिल होगा, जिसमें हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ता शामिल हैं।

इसे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रत्येक वर्ष 15 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और आयोग को प्रस्तुत करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से उनका पालन किया जाएगा।

(v) आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

(क) राज्य नोडल एजेंसी समय-समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

(ख) यह आयोग राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित होने के लिए एजेंसी की तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर योग्यता मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है।

(ग) यह आयोग राज्य नोडल एजेंसी को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए देय पारिश्रमिक और प्रभार निर्धारित कर सकता है और उसे वितरण लाइसेंसधारियों के अलावा मान्यता प्राप्त संस्थाओं और बाध्य संस्थाओं से वसूल किया जाएगा।

(घ) यदि आयोग को यह विश्वास हो कि राज्य नोडल एजेंसी अपने कार्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो वह आदेश द्वारा, तथा लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात, किसी अन्य एजेंसी को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

9. ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता(गण):

(क) हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ताओं के लिए छूट की प्रयोज्यता और सीमा, समय-समय पर संशोधित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के संबंध में, छूट आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक विनियमों, आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होगी।

प्रावधान है कि ऐसी छूट के प्रयोजन के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का लागू प्रतिशत उपरोक्त तालिका 3 में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

आगे प्रावधान है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादक, बाध्य संस्थाओं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने वाले विद्यमान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ताओं को यह प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे कि इस विद्युत के लिए कोई आरईसी/आरपीओ दावा नहीं किया गया है।

(ख) प्रत्येक ओपन एक्सेस उपभोक्ता, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तिमाही के अंत से दस (10) दिनों के भीतर, अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी को कुल विद्युत खपत और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद (आरपीओ) की पूर्ति हेतु नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा क्रय के संबंध में संचयी आधार पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक ओपन एक्सेस उपभोक्ता को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दस (10) दिनों के भीतर, वार्षिक आधार पर नवीकरणीय क्रय आदेश (आरपीओ) की पूर्ति हेतु नवीकरणीय न्योतों से कुल विद्युत खपत और ऊर्जा क्रय के संबंध में अपने थेट्र के वितरण लाइसेंसधारी को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए प्रक्षेपण प्रस्तुत करना होगा।

(घ) वितरण लाइसेंसधारी, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बैंक गारंटी (बीजी) या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:

प्रावधान है कि बीजी/एफडीआर का मूल्य पिछले तीन (3) महीनों के लिए पावर एक्सचेंज में खोजे गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) का भारित औसत मूल्य होगा।

आगे प्रावधान है कि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद का मूल्य ओपन एक्सेस उपभोक्ता से अनुमान प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर ओपन एक्सेस उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(ङ) ओपन एक्सेस उपभोक्ता को मीटरिंग औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से पहले वितरण लाइसेंसधारियों को बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करनी होगी:

प्रावधान है कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर विद्यमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता को बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करनी होगी:

इसके अलावा, यदि ओपन एक्सेस उपभोक्ता वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को ओपन एक्सेस के अंतर्गत है, तो ओपन एक्सेस उपभोक्ता को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अलग से बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) संबंधित वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करनी होगी।

(च) बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक वैध होगी।

(छ) ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा आरपीओ अनुपालन के आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को भुनाएगा:

प्रावधान है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता राज्य नोडल एंजेंसी को आरपीओ अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करेगा, जो आरपीओ के आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति को प्रमाणित करेगा ताकि वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को भुना सके:

प्रावधान है कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाई के लिए आरईसी खरीदने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की शेष राशि जारी करेगा:

आगे प्रावधान है कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाई के लिए आरईसी खरीदने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो वितरण लाइसेंसधारी शेष राशि को बाद के बिल में शामिल करेगा।

(ज) ओपन एक्सेस उपभोक्ता के आरपीओ अनुपालन की पूर्ति के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करेगा:

प्रावधान है कि यदि वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करने में विफल रहता है, तो जारी की जाने वाली बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की राशि पर विलंबित अवधि के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 1.0% प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

- (ज्ञ) वितरण लाइसेंसधारी, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से समेकित विवरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के नकदीकरण पर प्राप्त राशि और ओपन एक्सेस उपभोक्ता के बिल के माध्यम से प्राप्त शेष राशि, यदि कोई हो, से आरईसी खरीदेगा।

10. कैप्टिव उपयोगकर्ता(गण)

- (क) प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तिमाही के अंत से दस (10) दिनों के भीतर, अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी को कैप्टिव उत्पादन स्रोतों से कुल विद्युत खपत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा क्रय के संबंध में संचयी आधार पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

- (ख) प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दस (10) दिनों के भीतर, वार्षिक आधार पर आरपीओ की पूर्ति हेतु कैप्टिव उत्पादन से कुल विद्युत खपत और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा क्रय के संबंध में अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

प्रावधान है कि आवेदक जो वित्तीय वर्ष के दौरान कैप्टिव उपयोग की घोषणा करता है, उसे कैप्टिव उपयोगकर्ता की घोषणा के दस (10) दिनों के भीतर अनुमान प्रस्तुत करना होगा।

आगे प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान कैप्टिव उपयोगकर्ता को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान प्रस्तुत करना होगा।

- (ग) वितरण लाइसेंसधारी, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बैंक गारंटी (बीजी) या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:

प्रावधान है कि बीजी/एफडीआर का मूल्य पिछले तीन (3) महीनों के लिए पावर एक्सचेंज में खोजे गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का भारित औसत मूल्य होगा।

आगे प्रावधान है कि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद का मूल्य कैप्टिव उपयोगकर्ता से अनुमान प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कैप्टिव उपयोगकर्ता को सूचित किया जाएगा।

- (घ) कैप्टिव उपयोगकर्ता को अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करनी होगी: प्रावधान है कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर कैप्टिव उपयोगकर्ता या जो वित्तीय वर्ष के दौरान कैप्टिव उपयोग की घोषणा करता है, उसे बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करनी होगी:

- (ङ) बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक वैध होगी।

- (च) कैप्टिव उपयोगकर्ता के आरपीओ अनुपालन की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को भुनाएगा:

प्रावधान है कि कैप्टिव उपभोक्ता राज्य नोडल एजेंसी को आरपीओ अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करेगा, जो आरपीओ की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति को प्रमाणित करेगा, ताकि वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को भुना सके।

आगे प्रावधान है कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाई के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी खरीदने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की शेष राशि जारी करेगा:

आगे प्रावधान है कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हेतु कमी वाली इकाई के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी खरीदने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो वितरण लाइसेंसधारी शेष राशि को आगामी बिल में शामिल करेगा।

(छ) कैप्टिव उपयोगकर्ता के आरपीओ अनुपालन की पूर्ति के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करेगा:

प्रावधान है कि यदि वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करने में विफल रहता है, तो जारी की जाने वाली बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की राशि पर विलंबित अवधि के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 1.0% प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

(ज) वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं से समेकित विवरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के नकदीकरण पर प्राप्त राशि और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के बिल के माध्यम से प्राप्त शेष राशि, यदि कोई हो, से आरईसी खरीदेगा।

11. वितरण लाइसेंसधारी (गण)

(क) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गए व्यय को लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में वसूल करने की अनुमति दी जाएगी:

प्रावधान है कि आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए इकाइयों की कमी के लिए, बिजली की भौतिक खरीद के बाद, वितरण लाइसेंसधारियों को आरईसी लागत की अनुमति दी जा सकती है, जिसे समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार माना जाएगा और इसका सत्यापन किया जाएगा।

(ख) वितरण लाइसेंसधारी अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की कुल बिक्री और अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की खरीद के संबंध में संचयी आधार पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से बीस (20) दिनों के भीतर, राज्य नोडल एजेंसी और आयोग को प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा राज्य नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रूप से उनका पालन किया जाएगा।

(ग) वितरण लाइसेंसधारी को अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की कुल बिक्री और अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की खरीद के संबंध में वार्षिक आधार पर राज्य नोडल एजेंसी और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इसे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए जाएंगे, और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एसएनए को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रूप से उनका पालन किया जाएगा।

(घ) वितरण लाइसेंसधारी को अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की कुल बिक्री और आरपीओ की पूर्ति के लिए नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद, बीजी/एफडीआर आदि के माध्यम से आरपीओ के अनुपालन के संबंध में राज्य नोडल एजेंसी और आयोग को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट बाध्य संस्थाओं, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस (जीईओए) उपभोक्ताओं और आपूर्ति के अपने क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के संबंध में होगी।

इसे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप वे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और संप्रेषित किए

जाएंगे, और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एसएनए को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रूप से उनका पालन किया जाएगा।

12. नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य निर्धारण

- (क) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के पास परियोजना से उत्पादित बिजली के मूल्य निर्धारण के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना या आरईसी तंत्र को अपनाने का विकल्प होगा।
- (ख) उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अंतर्गत टैरिफ का विकल्प चुनने वाली परियोजनाओं को विद्युत क्रय समझौते की वैधता अवधि तक समान टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना जारी रखनी होगी।
- (ग) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, वितरण लाइसेंसधारी या ओपन एक्सेस उपभोक्ता के साथ विद्युत क्रय समझौते के निष्पादन से पूर्व, जैसा भी मामला हो, उचित मूल्य निर्धारण तंत्र के चयन के लिए अपना विकल्प चुनेगी।

13. आरपीओ का अनुपालन न करने पर जुर्माना

संशोधित अनुमान के न्यूनतम प्रतिशत को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कमी के लिए विनियम 5 और 6 में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू जुर्माना लगाया जाएगा;

प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारी को प्रत्येक वर्ष कुल नवीकरणीय ऊर्जा खरीद लक्ष्य में कमी के लिए 0.10 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कटौती के अधीन किया जाएगा;

आगे प्रावधान है कि वाध्य संस्थाओं (वितरण लाइसेंसधारी के अलावा) को प्रत्येक वर्ष कुल नवीकरणीय ऊर्जा खरीद लक्ष्य में कमी के लिए 0.10 रुपये प्रति किलोवाट घंटा का जुर्माना देना होगा;

आगे प्रावधान है कि नवीकरणीय ऊर्जा खरीद में किसी भी कमी को वितरण लाइसेंसधारियों के लिए एआरआर में कटौती करके समायोजित किया जाएगा;

आगे प्रावधान है कि यदि बाध्य संस्था यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि आरईसी की खरीद सहित सभी संभव उपाय करने के बाद भी वह आरपीओ को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो संस्था की याचिका पर आयोग उस आदेश में लगाई गई शर्तों के अधीन जुर्माना राशि को कम कर सकता है;

आगे प्रावधान है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि की गणना संबंधित वर्ष के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी और वितरण लाइसेंसधारी को सूचित की जाएगी, जिसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाएगी। वितरण लाइसेंसधारी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ऐसी दंडात्मक राशि का बिल लगाएगा;

आगे प्रावधान है कि बाध्य संस्थाओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने की गणना एसएनए द्वारा प्रासंगिक वर्ष के लिए की जाएगी और इसकी वसूली के लिए तंत्र को आयोग द्वारा मामले दर मामले के आधार पर निपटाया जाएगा;

आगे प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारियों के लिए दंड का निर्धारण एसएनए द्वारा किया जाएगा तथा एआरआर निर्धारण प्रक्रिया में समायोजन के लिए आयोग को सूचित किया जाएगा।

14. छूट की शक्ति

आयोग, लोकहित में तथा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

15. संशोधन करने का अधिकार

आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, परिवर्तित, बदलाव, निलंबित, सुधार, संशोधन या निरस्त कर सकता है।

16. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

- (क) इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी बाध्य इकाई या उत्पादन कंपनी को उचित कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, जो कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत होता है।

(ख) कोई भी मान्यता प्राप्त एवं बाध्य संस्था आयोग को आवेदन कर सकती है तथा इन विनियमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश मांग सकती है।

17. निरसन और व्यावृति

- (क) इन विनियमों में अन्यत्र प्रावधान के अलावा, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र ढांचा कार्यान्वयन) विनियम, 2021 इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से निरस्त हो जाएंगे।
- (ख) ऐसे निरसन के बावजूद, निरसित विनियमों के अंतर्गत किया गया या किया जाने का प्रकल्पित कोई भी कार्य इन विनियमों के अंतर्गत किया गया या किया जाने का प्रकल्पित माना जाएगा।
- (c) इन विनियमों में कोई भी बात आयोग की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यत्र प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।
- (d) इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए इसे आवश्यक या उचित समझता है।
- (ङ) इन विनियमों में कोई भी बात, स्पष्टतः या निहित रूप से, आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत किसी मामले पर कार्रवाई करने या किसी अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, और आयोग ऐसे मामलों, अधिकारों और कार्यों पर उस तरीके से कार्रवाई कर सकता है, जैसा वह उचित समझता है।

राजेश दाँगी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 10th October, 2025

Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation And Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2025

F. 17(332)/DERC/Engg./2024-25/8107/992.— In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61(h), 66 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission after previous publication hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulation, 2025 in the National Capital Territory of Delhi.

PART 1

PRELIMINARY

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

- (a) These Regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2025.
- (b) These Regulations shall come into force from date of its publication in the official gazette.

- (c) These Regulations shall extend to whole of National Capital Territory of Delhi.
- (d) These Regulations shall apply to the following Entities in the National Capital Territory of Delhi:
 - (i) Distribution Licensees;
 - (ii) Any Captive user, subject to the conditions in Regulation 4;
 - (iii) Any Open Access Consumer, subject to the conditions in Regulation 4;
 - (iv) Existing Open Access Consumer receiving electricity from Renewable Energy Sources or Green Energy Open Access Consumer under Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024 as amended from time to time.

2. DEFINITIONS

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) “Accredited Entities” means entities engaged in generation of electricity from Renewable Energy Sources registered under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, as amended from time to time, for issuance of Renewable Energy Certificates;
- (b) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and subsequent amendment(s) thereof;
- (c) “Area of Supply” means the area(s) within which the Distribution Licensee is authorized to supply electricity;
- (d) “Captive Generating Plant” shall have the same meaning as defined under section 2(8) in the Act read with the Electricity Rules 2005 as amended from time to time;
- (e) “Captive user” shall mean the end user of the electricity generated from its own Captive Generating Plant and the term “Captive Use” shall be construed accordingly;
- (f) “Central Agency” means the agency, as the Central Commission may designate from time to time, under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;
- (g) “Central Commission” means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (h) “Certificate” means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;
- (i) “Certificate Multiplier” means the multiplier as determined under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;
- (j) “Commission” means the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC);
- (k) “Consumption” means the total quantity of electricity consumed by an Obligated Entity during a financial year, measured at the metering point(s) of drawl, from all sources including procurement through distribution licensees, open access, and captive generation.

Provided that, in the case of a distribution licensee, it shall mean the total sale of power to its retail consumers within its area of supply during the year.

Provided further that, in the case of an Open Access or Captive consumer, it shall be limited to the quantum of electricity drawn through Open Access or Captive sources during the year.

Explanation: *Electricity supplied to an Open Access or Captive consumer by the distribution licensee shall not be included for RPO compliance by such consumer, as the RPO on such quantum shall be discharged by the distribution licensee.*

- (l) “Distributed RPO” means Renewable Purchase Obligation that shall be met from the energy generated from Renewable Energy Projects that are less than 10 MW in size and shall include installations under all configurations (Net Metering, Group Net Metering, Virtual Net Metering, Behind the Meter Installations and as may be defined by the Commission);
- (m) “Distribution Licensee” means a Licensee authorised to operate and maintain a Distribution system for supplying electricity to the consumers in its area of supply;
- (n) “GEOA Consumer” means the same as defined in Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024
- (o) “HPO” means Hydro Purchase Obligation as specified in Regulation 5 and 6 of these Regulations for the respective time periods;
- (p) “Inter-connection point” shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the Transmission system or Distribution system as the case may be;
- (q) “MNRE” means the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;
- (r) “Obligated Entity” means the Distribution Licensee, Captive user, Open Access Consumer or any other entity in the National Capital Territory of Delhi, which is mandated to fulfil Renewable Purchase Obligation as may be notified by the Commission from time to time subject to fulfilment of conditions in Regulation 4 of these Regulations;
- (s) “Open Access Consumer” means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;
- (t) “Other RPO” means Renewable Purchase Obligation that may be met by energy produced from any Renewable Energy project not covered under Regulation 2(l), 2(o) and 2(bb);
- (u) “Person” shall have the same meaning as defined under sub section (49) of Section 2 of the Act;
- (v) “Power Exchange” means exchange registered under Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 or as amended from time to time;
- (w) “Renewable Energy Sources” means Renewable Sources/Green energy such as large hydro as specified under Regulation 5(e) & 6 (b), small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and/or such other source(s) recognized by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) or any other agency as notified by Government of India or the Commission;
- (x) “Renewable Purchase Obligation (RPO)” means the requirement as specified under these Regulations as per Section 86(1)(e) of the Act for the Obligated Entity to purchase electricity from Renewable Energy Sources;
- (y) “State Nodal Agency” means the Energy Efficiency & Renewable Energy Management Centre or the agency so designated by the Commission under Regulation 6 of these Regulations to act as the agency to undertake the functions as specified in these Regulations in the National Capital Territory of Delhi;
- (z) “State” means the National Capital Territory of Delhi;
- (aa) “Tariff” means the tariff fixed by the Commission as per relevant Regulations for generation from various Renewable Energy Sources under Section 62 or adopted under Section 63 of the Act;
- (bb) “Wind RPO” means Renewable Purchase Obligation that shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs), as specified in Regulations 5 and 6 of these Regulations;

(cc) "Year" means a financial year i.e. from 1st April to 31st March;

3. INTERPRETATIONS

- (a) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder.
- (b) Unless the context otherwise requires, the words or expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such Regulations issued by the Commission.

4. OBLIGATED ENTITY

The percentage specified in Regulation 5 shall be applicable to all Obligated Entities including but not limited to Distribution Licensees, Open Access Consumers and captive users within National Capital Territory of Delhi, subject to the following conditions: -

- i. Any person who owns a grid-connected Captive Generating Plant based on conventional fossil fuel with installed capacity of 1 MW and above, or such other capacity as may be stipulated by the Commission from time to time, and consumes electricity for self-use, such Plant shall be subject to RPO based on total electricity consumption, measured at the metering point(s) of drawl.
- ii. Any person having a Contract Demand of not less than 1 MW and who consumes electricity procured from conventional fossil fuel-based generation, shall be subject to RPO based on the total electricity consumption, measured at the metering point(s) of drawl.

Provided that the Commission may, by order, modify/revise the minimum capacity referred to in sub-clauses (i) and (ii) above from time to time.

5. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO)

- a) On and from the date of commencement of these Regulations, there shall be a uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in area of a distribution licensee.
- b) Any entity, may choose to generate, purchase and consume renewable energy/green energy as per its requirements by one or more of the following methods: -
 - 1. Own Generation from renewable energy sources –There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by using open access: Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.
 - 2. By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets.

Explanation:

(iii) Developer means the generating company which generates electrical energy from renewable sources of energy.

(iv) Trading Licensee means a person who has been granted a license by the appropriate Commission, for purchase of electricity for resale thereof.

3. By requisition from distribution licensee. –

- (i) Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and may place a requisition therefor with the distribution licensee, which shall procure & supply such quantity of green energy and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;
- (ii) The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of Twenty-five per cent and going up to Hundred per cent;
- (iii) The tariff for the green energy shall be determined by the Commission through a separate order;
- (iv) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;
- (v) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;
- (vi) The green energy purchased from the distribution licensee or from Renewable Energy sources other than the distribution licensee, in excess of the Renewable Purchase Obligation (RPO) of the obligated entity, shall not be counted towards the RPO compliance of the distribution licensee unless the distribution licensee directly purchases the excess energy;
- (vii) The Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis;

4. By consuming green energy from captive power plant.

5. By purchasing renewable energy certificates in accordance with the applicable Regulations.

6. Purchase of green hydrogen or green ammonia; —the obligated entity can also meet its Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be those as may be specified by the Central Commission.

7. Any other sources, as may be, determined by the Central Government

- c) Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a defined minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase Obligation, as specified below –

Table 1: RPO Targets for Obligated Entities

Sr. No.	RPO Targets				
	Year	Wind RPO	Other RPO	HPO Target (only for Distribution Licensee)	Total RPO Target
1	2025-26	3.36%	28.17%	1.48%	33.01%

- (d) Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 2022.

- (e) HPO shall be met by Energy produced from Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects, Small Hydro Projects(SHPs), Mini Hydro, Micro Hydro Power] commissioned after 8th March 2019.
 - (f) Other RPO shall be met by Energy produced from any Renewable Energy Power Project not mentioned in 5(d) & 5(e) above and shall include Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned before 8th March 2019.
 - (g) Any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year shall be met with either the excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or with excess energy consumed from eligible Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year shall be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of 'HPO' for that year and similarly any shortfall in achievement of 'HPO' in a particular year shall be met with excess energy consumed from Wind Power Plants, which is in excess of 'Wind RPO' for that year.
 - (h) Renewable Energy Certificates shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time, for computation of further shortfall in RPO, if any.
- Provided also that the Obligated Entities may purchase RECs for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.
- (i) Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO and the HPO Trajectory shall be trued up on an Annual Basis depending on the Revised Commissioning schedule of Hydro projects. Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism, as available, may be utilized by Obligated Entity.

6. RPO Targets for Obligated Entities (FY 2026 -27 onwards)

The RPO targets for the obligated entities for FY 2026-27 onwards shall be as per the following tables:

Table 2: RPO Targets for Obligated Entities (Distribution Licensee only)

Sr. No	Year	Wind RPO (a)	HPO (b)	Distributed RPO (c)	Other RPO (d)	Total RPO (e)
1	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
2	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
3	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
4	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

Table 3: RPO Targets for Obligated Entities (Other than Distribution Licensee)

2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
35.95%	38.81%	41.36%	43.33%

Provided that Table 3 above shall be applicable to existing Open Access Consumers sourcing power from renewable sources or GEOA Consumers solely for the purpose of availing exemption as specified under Regulation 9(a) of these Regulations.

Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2029-30 shall be continued beyond FY 2029-30 unless specified by the Commission separately.

NOTE:

a) The wind renewable energy component shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after the 31st March, 2024.

b) The hydro renewable energy component shall be met only by energy produced from Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after the 31st March, 2024:

Provided that the hydro renewable energy component may also be met out of the free power being provided to the State/DISCOM from the Hydro Power Projects commissioned after the 31st March, 2024:

Provided further that the hydro renewable energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India as approved by the Central Government on a case-to-case basis.

c) The Distributed Renewable Energy component shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (Net Metering, Gross Metering, Virtual Net Metering, Group Net Metering, behind the meter installations and any other configuration) as notified by any other agency of Government of India or the Commission:

Provided that the compliance against Distributed Renewable Energy shall ordinarily be considered in terms of energy (Kilowatt hour units):

Provided further that in case the designated consumer is unable to provide generation data against Distributed Renewable Energy installations, the reported capacity shall be transformed into Distributed Renewable Energy generation in terms of energy by a multiplier of 3.5 units per kilowatt per day (kWh/kW/day)

d) The other Renewable Energy component shall be met by energy produced from any Renewable Energy power project other than specified in Note a, b and c above and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1st April, 2024.

e) Any shortfall in achievement of stipulated wind renewable energy consumption in a particular year may be met with hydro renewable energy which is in excess of that energy component for that year and vice versa.

f) The balance excess energy consumption under wind renewable energy or hydro renewable energy component in a particular year, may be considered as part of other renewable energy component.

- g) Any excess energy consumption under Other renewable energy component in a particular year, may be utilised to meet the shortfall in achievement of stipulated Wind renewable energy or Hydro renewable energy consumption.
- h) The designated consumers who are open access consumers or consumers with Captive Power Plants shall fulfil their obligation as per the specified total renewable energy target irrespective of the non-fossil fuel source.
- i) The specified renewable energy consumption targets shall be met either directly or through Certificate in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 24th May, 2022.

Provided also that the Obligated Entities may purchase RECs for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.

Table 4: Energy Storage Obligation (FY 2026 -27 onwards)

- a. The Energy Storage Obligation shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of the total energy stored in the Energy Storage System (ESS), on an annual basis, is procured from renewable energy sources
- b. The following percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy along with/through storage:

Sr. No	Year	Storage (on Energy basis)
1	2026-27	2.5%
2	2027-28	3.0%
3	2028-29	3.5%
4	2029-30	4.0%

- c. The Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE sources shall be considered as a part of fulfilment of the total RPO, as specified in Table 2 and Table 3, as may be applicable.
- d. The Energy Storage Obligation shall be reviewed periodically considering the commissioning/operation of PSP capacity, to accommodate any new promising commercially viable Energy Storage technologies and also reduction in cost of Battery Energy Storage Systems (BESS).

7. OTHER CONDITIONS FOR COMPLIANCE

- (a) The power purchased from generating station(s) based on Renewable Energy Sources registered for issuance of REC under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time, shall not qualify for RPO of the Obligated Entities:

Provided that for power purchase from RE generator, the Obligated Entities will submit an undertaking to State Nodal Agency that renewable component of the said power has not been

claimed by the RE generators for issuance of REC under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time.

- (b) The quantum of electricity generated by Net Metering Consumers, Obligated Entity (Other than distribution licensee) eligible under DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014 as amended from time to time or under Delhi Solar Energy Policy, 2023 as amended from time to time, shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation for the Distribution Licensee of the area.
- (c) Distribution Licensees shall procure 100% power generated from all the Waste-to- Energy plants in the State, in the ratio of their procurement of power from all sources, or as approved by the Commission from time to time.
- (d) The Renewable Energy procured by the Obligated Entity from Renewable Energy Generating Stations bundled with coal/lignite generating stations shall be considered towards compliance of RPO to the extent of power procured from such Renewable Energy Generating Station.
- (e) The Distribution Licensee shall submit its quarterly progress report to the Commission along with RPO compliance status of Open Access Consumers & Captive Users on the capacity addition, generation and purchase of electricity from Renewable Energy Sources & purchase of RECs and also upload the progress report on its website, within twenty (20) days from the end of each quarter.
- (f) Green Certificate—The Distribution Licensee shall, on a written request, issue a *Green Certificate* on an annual basis, certifying the quantum of renewable energy supplied by the licensee to such consumer during the relevant financial year, over and above the Renewable Purchase Obligation (RPO), if any, applicable to the consumer under these Regulations.
- (g) The Distribution Licensee shall categorize consumers on different rating, based on the percentage of green energy purchased by such consumers.

The system employs a green five-star rating scale, correlating with the proportion of renewable energy in a consumer's energy mix.

- a. 1 Green Star: Represents energy consumption comprising up to 25% renewable sources.
- b. 2 Green Stars: Represents energy consumption comprising 26% to 50% renewable sources.
- c. 3 Green Stars: Represents energy consumption comprising 51% to 75% renewable sources.
- d. 4 Green Stars: Represents energy consumption comprising 76% to 95% renewable sources.
- e. 5 Green Stars: Represents energy consumption comprising 96% to 100% renewable sources.

Note: Energy Consumption shall be rounded off to lower integer.

The Green Energy Star Rating shall be prominently displayed by distribution licensee on consumer bills, online platforms, and energy monitoring interfaces. This rating shall be revised every year by the distribution licensee.

8. STATE NODAL AGENCY

- (a) The State Nodal Agency (SNA) shall discharge the following functions, namely:
 - (i) Accreditation and recommendation of the renewable energy projects for registration under REC mechanism and shall act in accordance with the procedures/rules laid down by the Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory

Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(ii) Develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable energy generating companies, Obligated Entities, State Load Despatch Centre (SLDC) or any other agency on regular basis, for purposes of:

(a) Assessing compliance with Renewable Purchase Obligation (RPO) targets by Obligated Entities; and

(b) Determining the quantum of electricity eligible for exemption from RPO in respect of Existing Open Access consumers sourcing power from renewable energy sources and Green Energy Open Access (GEOA) consumers.

(iii) The State Nodal Agency shall submit quarterly progress reports, **on a cumulative basis**, on the compliance of Renewable Purchase Obligation by the Obligated Entities, including Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers sourcing power from renewable energy sources, within twenty-five (25) days from the end of each quarter. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the State Nodal Agency for submission to the Commission.

(iv) The State Nodal Agency shall submit an annual consolidated RPO compliance report to the Commission, incorporating details of compliance and excess renewable procurement by all obligated entities, including Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers sourcing power from renewable energy sources.

This shall be submitted on or before 15th May of each year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the State Nodal Agency for submission to the Commission.

(v) discharge any other function as may be assigned by the Commission from time to time.

(b) The State Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission from time to time.

(c) The Commission may specify qualifying criteria based on technical and financial capability of an agency to be designated as State Nodal Agency.

(d) The Commission may fix the remuneration and charges payable to the State Nodal Agency for discharge of its functions and the same shall be recovered from the accredited entities and the Obligated Entities other than Distribution Licensees.

(e) If the Commission is satisfied that the State Nodal Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by an Order, and after recording reasons in writing, designate another agency to function as State Nodal Agency, as it considers appropriate.

9. OPEN ACCESS CONSUMER(S):

(a) The applicability and extent of exemption for Green Energy Open Access (GEOA) Consumers shall be in accordance with the provisions of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024, as amended from time to time. In respect of existing Open Access Consumers availing electricity from Renewable Energy sources, the exemption shall be governed by the relevant regulations, orders, and directions issued by the Commission, as applicable from time to time.

Provided that the applicable percentage of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the purpose of such exemption shall be as specified in Table 3 above.

Provided further that the generators using Renewable Energy Sources shall provide certificate to Obligated Entities, Existing Open Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources or Green Energy Open Access (GEOA) Consumers that no REC/ RPO claim for this power has been made.

- (b) Every Open Access Consumer shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, to the Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO, within ten (10) days from the end of each quarter, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the open access consumer.
- (c) Every Open Access Consumer shall submit necessary details to Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis, within ten (10) days from the end of each financial year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the open access consumer.

Provided that an existing Open Access Consumer as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

- (d) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Open Access Consumer for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC) discovered at Power Exchange for past three (3) months.

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Open Access Consumer within 7 days of receipt of projections from the Open Access Consumer.

- (e) The Open Access Consumer shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to Distribution Licensees before issuance of compliance report for completion of metering formalities:

Provided that existing Open Access Consumer on the date of applicability of these Regulations shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that if the Open Access Consumer is under Open Access on 1st April of Financial Year, the Open Access consumer shall submit the separate Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year by 30th April of the relevant Financial Year.

- (f) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid up to three months from the date of completion of relevant financial year.
- (g) In case of part fulfilment or non-fulfilment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Open Access Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non-fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit

towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

- (h) In case of fulfilment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

- (i) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Open Access Consumers from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) and the balance amount, if any, realised through bill of Open Access Consumer.

10. CAPTIVE USER(S)

- (a) Every Captive User shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, to the Distribution Licensee of its area regarding the total consumption of electricity from captive generating sources and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on quarterly basis, within ten (10) days from the end of each quarter, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the Captive user.
- (b) Every Captive User shall submit necessary details to Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity from captive generating and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis, within ten (10) days from the end of each financial year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the Captive user.

Provided that the applicant who declares the captive use during a financial year shall submit the projections within ten (10) days of the declaration of captive user.

Provided further that existing Captive User as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

- (c) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Captive User for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC) discovered at Power Exchange for past three (3) months.

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Captive User within 7 days of receipt of projections from the Captive User.

- (d) The Captive User shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) by 30th April of the relevant Financial Year to the Distribution Licensee of its area:

Provided that the Captive User on the date of applicability of these Regulations or who declares the captive use during a Financial Year, shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR).

- (e) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid up to three months from the date of completion of relevant financial year.
- (f) In case of part fulfilment or non-fulfilment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Captive Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non-fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

- (g) In case of fulfilment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

- (h) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Captive Users from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) and the balance amount, if any, realised through bill of Captive Users.

11. DISTRIBUTION LICENSEE(S)

- (a) The cost incurred by the Distribution Licensee to meet its RPO target shall be allowed to be recovered in Aggregate Revenue Requirement (ARR) as per the provisions of the applicable Regulations:

Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution Licensees may be allowed REC cost which shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time and shall be Trued-up.

- (b) The Distribution Licensee shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, regarding total sales of electricity to the consumers in its area and the purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) for fulfilment of its Renewable Purchase Obligation (RPO), to the State Nodal Agency and the Commission, within twenty (20) days from the end of each quarter. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

- (c) The Distribution Licensee shall also submit reports on yearly basis, regarding total sales of electricity to the consumers in its area and the purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) for fulfilment of its Renewable Purchase Obligation (RPO), to the State Nodal Agency and the Commission.

This shall be submitted on or before 20th April of each year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as

may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

- (d) Distribution Licensee shall also submit reports on yearly basis, to the State Nodal Agency and the Commission regarding total sales of electricity to the consumers in its area and purchase of energy from renewable sources for fulfilment of RPO, compliance of RPO through BG/FDR etc. w.r.t. Obligated Entities, Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources within its area of supply.

This shall be submitted on or before 30th April of each year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

12. RENEWABLE ENERGY PRICING

- (a) A renewable energy project shall have an option of adopting either the tariff pricing structure or the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.
- (b) The projects opting for tariff under sub Regulation (a), above, shall have to continue with the same tariff pricing structure till the period of validity of Power Purchase Agreement.
- (c) Renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate pricing mechanism prior to execution of the Power Purchase Agreement with the Distribution Licensee or with Open Access Consumer, as the case may be.

13. PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO

Any shortfall in meeting the minimum percentage of RE shall attract applicable penalty for each financial year as specified in Regulation 5 & 6;

Provided that Distribution Licensee shall be subjected to reduction in Annual Revenue Requirement at a rate of Rs 0.10 per kWh for shortfall in total RE procurement target for each year;

Provided further that Obligated Entities (Other than distribution licensee) shall be subjected to penalty of Rs. 0.10 per kWh for shortfall in total Renewable energy procurement target for each year;

Provided further that any shortfall in Renewable energy procurement shall be adjusted by imposing reduction in ARR for Distribution Licensees;

Provided further that if Obligated Entity is able to demonstrate that even after taking all possible measures including procurement of RECs, it is not able to meet RPO then the Commission may on Petition by the entity reduce the penalty amount subject to conditions as may be imposed in that Order;

Provided further that the amount of penalty to be levied on Open Access consumers shall be computed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to the Commission. The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access consumers;

Provided further that the penalty to be levied on obligated entities will be computed for relevant year by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis;

Provided further that Penalties for Distribution Licensees shall be determined by SNA and informed to the Commission for adjustment in ARR determination process.

14. Power to Relax

The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by a person.

15. Power to Amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provision of these Regulations.

16. Power to Remove Difficulties

- (a) In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by any general or special order, issue appropriate directions to any Obligated Entity or generating company, to take suitable action, not inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
- (b) Any Accredited and Obligated Entity may make an application to the Commission and seek suitable Orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

17. Repeal and Savings

- (a) Save as otherwise provided in these Regulations, the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021 shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.
- (b) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.
- (c) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- (d) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- (e) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission in dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

RAJESH DANGI, Secy.